कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त,उत्तराखण्ड, देहरादून ।

पत्रांक 2188 / 12–1 (1) दिनांक, देहरादून,अप्रैल 21 2015

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

विषयः जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी से कुल्हा मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 7.300किमी) हेतु 3.15 हे0 वन भूमि का वन संरक्षण (अधिनियम),1980 के अन्तर्गत वन भूमि पर गैरवानिकी कार्य हेतु भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करने विषयक।

संदर्भः **FP/UK/ ROAD/ 8763/2014**

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी,चकराता वन प्रभाग ने अपने पत्रांक 3032 / 12–1 दिनांक 13–04–2015 के द्वारा प्रस्ताव की हार्ड प्रति उपलब्ध कराते हुए दिनांक 18–4–2015 को विषयाकिंत प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किया गया है। विषयाकिंत प्रस्ताव में में वांछित वन भूमि की विधिक स्थिति निम्न प्रकार है ।

रेंज का नाम	वांछित भूमि की विधिक स्थिति	लम्बाई X चौड़ाई	क्षेत्रफल	बाधित वृक्ष
देवधार रेंज	सिविल भूमि ग्राम कुल्हा	3500 X 9	3.150	06
	योग वन भूमि	3500X 9	**3.150**	**06**
	नाप भूमि ग्राम कुल्हा	3800 X 9	3.420	0

प्रभागीय वनाधिकारी चकराता के अभिमत/ संस्तुति के पश्चात निर्धारित संलग्न प्रपत्र– III में संस्तुति सहित प्रस्ताव ऑन लाईन प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय

(आर0के0मिश्र)
वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।

2188 / 12-1(1) दिनांक 21-4-2015

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग,चकराता को उनके पत्रांक 3032 / 12–1 दिनांक 13 अपैल 2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड,पी0एम0जी0एस0वाई0 कालसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0के0मिश्र)
वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।

भाग–III
(संबंधी वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है ।)

कार्य का नाम– जनपद देहरादून में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायगी से कुल्हा मोटर मार्ग निर्माण (लम्बाई 7.300किमी) हेतु 3.15 हे0 वन भूमि का वन संरक्षण (अधिनियम),1980 के अन्तर्गत वन भूमि पर गैरवानिकी कार्य हेतु भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करने विषयक।

क्रमांक 14	स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
क्रमांक 15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझाव से सहमत हैं ।	सहमत हैं ।
क्रमांग 16	प्रस्तावों की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें ।	संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर

दिनांक – 21 अप्रैल, 2015
स्थान – देहरादून ।

नाम – (आर0के0मिश्र)
वन संरक्षक,
यमुना वृत,उत्तराखण्ड,देहरादून ।